न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

सूचना का अधिकार अपील 09/2024

अपीलांटः–

1. श्री मनीष अन्याव पुत्र श्री नवरतनजी अन्याव जाति ओसवाल, निवासी वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर स्कुल के पास बालोतरा, जिला बलोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट :–

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर बालोतरा।

आदेश

दिनांक 08.05.2024

अपीलार्थी श्री मनीष अन्याव पुत्र श्री नवरतनजी अन्याव जाति ओसवाल, निवासी वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर स्कुल के पास बालोतरा, जिला बलोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 20.02.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई।

रेस्पोडेंट द्वारा सुनवाई तिथि को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने उक्त आवेदन चाही सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में प्रस्तुत किया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में पूर्व में सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन किया था। जिसकी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। जबकि अपीलार्थी द्वारा बार बार इस कार्यालय में अनावश्यक आवेदन प्रस्तुत किये जाते है। जिससे कार्यालय में कार्य बाधा उत्पन होती है जिसके फलस्वरूप आवश्यक कार्यो को संपादित करने में विलम्ब होता है। आपीलार्थी को भविष्य में इस कार्यालय में नियम के विरूद्ध सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करने हेतु निषेध करावे। अपीलार्थी की उक्त अपील अस्वीकार कर प्रकरण खारिज की जाए। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे। अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट को वांछित सूचना का पूर्व में उपलब्ध करवा दी गई है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 08.05.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा